रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 1982/वैशाख 8, 1904
No. 160] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 1982/VAISAKHA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1982

का० आ० 288 (अ)/सं० ई (सी) डी, 1977 एएल (236) :— आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) सातवां संशोधन आदेश, 1982 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के भाग ख, अनुसूची 1 में, क्रम सं० 64(xi) में आने वाली वर्तमान प्रविष्टि को क्रम सं० 64(xi) के रूप में पुनः संख्यांकित किया

जाएगा और निम्नलिखित प्रविष्टि की क्रम सं० 64 (xi) के रूप में शामिल किया जाएगा :—

"64 (xi) —हाथ से बुनने के लिए ऐक्रिलिक धागा"

3. खुले सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं० सं० 44(3) के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी :—

क्रम सं०	मद	अनुसूची 1 के भाग "ख" के अनुसार क्रम स०	पूर्ण की जाने वाली शर्तें प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
1	2	3	4
44(4)	हाथ से बुनने के लिए एक्रिलिक धागा	ख० 64(xi)	निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों की सूचना पोत-लदान के बाद सात दिनों के भीतर संबंधित परिषद को प्रस्तुत की जाएगी।

[मि०स०2/19/82-ई-I]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात–निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 28th April, 1982

S.O. 288(E) No. E(C)O.1977/AM(236) :—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely : -

1. This Order may be called the Exports (Control) Seventh Amendment Order, 1982.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Part B Schedule I, the existing entry appearing at S. No. 64(xi) shall be renumbered as S. No. 64(xii) and the following shall be inserted as S. No. 64(xi).

"64(xi)—Acrylic Hand Knitting Y

3. In OGL-3 the following item shall be added after S. No. 44(iii).

S. No.	Item	S. No. as in Part 'B' of Schedule I	Conditions to be fulfilled/ documents to be produced
1	2	3	4
"44(iv)	Acrylic Hand Knitting Yarn.	B.64(xi)	Information in respect of export effected will be furnished by the exporters within seven days after shipment to the concerned Council".

[No. 2/19/82-EI]

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982